भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

06.08.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2847 का उत्तर

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास

2847. श्री मनीश तिवारी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो पुनर्विकास परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है और समय-सीमा क्या है तथा अब तक कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है;

(ग) क्या सरकार चल रहे पुनर्विकास कार्य के बावजूद स्टेशन पर खराब स्वच्छता, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं और लगातार भीड़भाड़ से संबंधित रिपोर्टों से अवगत है;

(घ) यदि हाँ, तो पुनर्विकास प्रक्रिया के दौरान और उसके पश्चात् स्टेशन पर स्वच्छता, यात्री सुविधाओं और भीड़ प्रबंधन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने हैं;

(ङ) क्या पुनर्विकास कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की निगरानी हेतु किसी तृतीय-पक्ष या नागरिक प्रतिक्रिया तंत्र का उपयोग किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या देशभर में इसी तरह की रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं की कोई संपरीक्षा/समीक्षा की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित करने के लिए चिह्नित किया गया है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य को 436.29 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर स्वीकृत किया गया है।

चंडीगढ़ के पुनर्विकास का कार्य अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है और पंचकूला और चंडीगढ़ की ओर स्थित स्टेशन भवन के संरचनात्मक कार्य पूरे हो चुके हैं। एयर कॉन्कोर्स, पैदल पार पुल, पार्किंग, प्लेटफॉर्म शेल्टर सहित प्लेटफॉर्म उन्नयन, स्टेशन भवन की फिनिशिंग आदि का कार्य शुरू हो चुका है। स्टेशन पुनर्विकास कार्य स्टेशन संचालन पर न्यूनतम प्रभाव डालते हुए किए जा रहे हैं।

अब तक, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन सहित 1337 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित करने के लिए चिह्नित किया गया है। अभी तक, 105 स्टेशनों के चरण-I के निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। इन स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:

अंबिकापुर, आमगांव, अयोध्या धाम, बागलकोट, बैजनाथ पपरोला, बलरामपुर, बरेली शहर, बेगमपेट, भानुप्रतापपुर, भिलाई, बिजनोर, बूंदी, चांदा फोर्ट, चिदम्बरम, चिंचपोकली, चिरयिनकीज़, कटक, डाकोर, डेरोल, देशनोक, देवलाली, धारवाड़, धुले, डोंगरगढ़, फतेहाबाद, फतेहपुर शेखावटी, गडग, गोगामेरी, गोकक रोड, गोला गोकरनाथ, गोमती नगर, गोवर्धन, गोविंद गढ़, गोविंदपुरी, गोविंदपुर रोड, हैबरगांव, हाथरस सिटी, हापा, ईदगाह आगरा जं., इज्जतनगर, जाम जोधपुर, जाम वनथली, जयचण्डी पहाड़, कल्याणी घोषपारा, कनालूस जं., करमसद, करीमनगर, कटनी दक्षिण, केडगांव, कोसांबा जं., कुलीत्तुराई, लासलगांव, लिंबडी, लोनंद जं., माहे, महुवा, मैलानी, मंडल गढ़, मंडावरमहवा रोड, मंडी डबवाली, मन्नारगुडी, माटुंगा, मीठापुर, मोरबी, मुनिराबाद, मुर्तिजापुर जंक्शन, नर्मदापुरम (होशंगाबाद), नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन, ओखा, ओरछा, पालीताना, पानागढ़, परेल, पीरपैंती, पुखरायाँ, पोलूर, राजगढ़, राजमहल, राजुला जंक्शन, रामघाट हॉल्ट, सहारनपुर जंक्शन, सामाखियाली, सामलपट्टी, शंकरपुर, सावदा, सिवनी, शहाद, शाजापुर, श्रीधाम, सिद्धार्थ नगर, सीहोर जंक्शन, श्रीरंगम, सेंट थॉमस माउंट, सुल्लुरपेटा, सुरैमनपुर, स्वामीनारायण छपिया, थावे, तिरुवन्नामलाई, उझानी, उरकुरा, उतरन, वडकारा, वडाला रोड, वृद्धाचलम जंक्शन, वरंगल।

अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है। इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफार्म की सतह में सुधार और प्लेटफार्म के ऊपर कवर, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल है।

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध एवं व्यवहार्य रूप से स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों छोरों के साथ एकीकरण, मल्टीमोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, संधारणीय और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित स्टेशनों का विकास/उन्नयन सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आबंटन का विवरण क्षेत्रीय रेलवे-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार या राज्य-वार। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है जिसके लिए योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2216 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) का कुल आबंटन किया गया है।

इसके अलावा, रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए फायर क्लीयरेंस, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं) को स्थानांतरित करना, अतिलंघन,

यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं। अत:, इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

स्वच्छता एक सतत् प्रक्रिया है और स्टेशन परिसर को उचित रूप से स्वच्छ और व्यवस्थित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास का कार्य चलते हुए भी हाउसकीपिंग का काम उच्च मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफ़ॉर्म, प्रतीक्षालय, शौचालय और स्नानघर आदि जैसी सभी यात्री सुविधाओं को स्वच्छ स्थिति में रखा जा रहा है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जा रहा है।

रेलवे द्वारा स्टेशनों पर भीड़भाड़ को नियंत्रित करने और अप्रिय घटना से बचने के उद्देश्य से जीआरपी/स्थानीय पुलिस के समन्वय से निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

1. आरंभिक स्टेशन पर मुख्य रेलगाड़ियों के सामान्य सवारी डिब्बों में यात्रियों के बाधारहित चढ़ने के लिए कतार प्रणाली अपनाई गई है।
2. भीड़-भाड़ वाली जगह पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कंट्रोल रूम में कुशल रेल सुरक्षा बल कर्मियों को तैनात किया गया है।
3. अधिक भीड़ के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति से बचने और यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए पैदल पार पुल पर राजकीय रेलवे पुलिस और रेल सुरक्षा बल कर्मियों को तैनात किया जाता है।
4. रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी और समीक्षा के लिए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के संबंधित पुलिस महानिदेशक/राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के आयुक्त की अध्यक्षता में रेलवे की राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) का गठन किया गया है।

5. **भीड़ के विषय में जानकारी एकत्र करने के लिए आसूचना इकाइयों (सीआईबी/एसआईबी) और सादे कपड़ों में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाता है और तदनुसार राजकीय रेलवे पुलिस/पुलिस को शामिल करके व्यवस्था की गई है।**

6. **भीड़ का प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस/राज्य की पुलिस के साथ समन्वय किया जाता है।**

भारतीय रेल के पास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक सुस्थापित तंत्र है, जिसमें उनकी समीक्षा, निरीक्षण, फीडबैक, कार्यों की गुणवत्ता की जाँच और लेखापरीक्षा शामिल हैं। विभिन्न संहिताओं और नियमावलियों में निर्धारित मानकों और विशिष्टताओं का पालन करते हुए कार्य किए जाते हैं। विभिन्न एजेंसियों/अधिकारियों/बहु-विषयक टीमों द्वारा समय-समय पर निर्धारित निर्देशों के अनुसार निरीक्षण/लेखापरीक्षा/जाँच की जाती है और सुधार हेतु तुरंत कार्रवाई की जाती है। यह एक निरंतर और सतत् प्रक्रिया है।

*****